

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—64/2019 (2019/00168) वाद पत्र

उनवान

1—नारायण पिता डुंगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—सायरी पत्नि गोपु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1.—हरिश टेलर —

अधिवक्ता वादी

2.—जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर:—66/2019 (2019/00159) वाद पत्र

उनवान

1—सायरी पत्नि गोपु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1—नारायण पिता डुंगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—बदामी पत्नि शिवलाल जाट जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—मांगीलाल आत्मज हजारी खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—कमली पुत्री भैरू जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6—छोगा पुत्र कालु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

7—बरदी पुत्री भैरा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

8—शंकर पुत्र भैरा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

9—सोनी पत्नि भैरू जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1.—जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता वादीया

2.—हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 21.10.2021

उक्त प्रकरण संख्या 64/2019 का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08

*[Signature]*



है 0 भूमि ग्राम खेमाणा में दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमि में वादी का 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। पूर्व में वादवर्णित भूमि गोपु आत्मज केला जाट निवासी खेमाणा जो प्रतिवादी संख्या 1 का पति से 25 वर्ष पूर्व वादी द्वारा कय की गई है तभी से वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी का एवं पश्चिमी तरफ का हिस्सा प्रतिवादी 1 का है। वादी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्र द्वारा अनाधिकृत प्रवेश कर डोल को ढंसा दिया व मारपीट की जिसका मुकदमा भी पुलिस में दर्ज करवाया है। अतः वादवर्णित भूमि में वादी का 4/5 हिस्सा का विभाजन कराया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराई जावे।

इसी दौरान प्रतिवादीया की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा.का. अधि. के तहत पेश किया जिसका सक्षित्य विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की शामलाती कृषि आराजियात ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा के खाता संख्या 197 में अकिंत आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 है 0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 है 0 स्थित है। उक्त कृषि आराजियात में वादी का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 4/5 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एव नक्शा ट्रेस नकल वादपत्र के साथ पेश है। आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 है 0 भूमि के साबिक नम्बर 1106/1 रकबा 5 बीघा थे जो पूर्व में वादी के दादा ससुर केला पिता मोती जाट के नाम पर आवटित हुई तब से वादी एवं उसके पूर्वज उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी के दादा ससुर की मृत्यु के पश्चात् वादी के पति गोपी व उसके देवर लछमण के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई। वादी के पति एवं देवर द्वारा दिनांक 1.2.1992 को उक्त भूमि में से 4/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक को विक्रय किया गया तथा 1/5 हिस्सा वादी के नाम विक्रयपत्र लिखवा पंजीयन कराया गया तब से वादी अपने 1/5 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या एक अपने 4/5 हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर वादी का उत्तरी हिस्से पर व प्रतिवादी संख्या एक का दक्षिणी हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है। वादी की उक्त साबिक आराजी को साबिक नक्शे में पेसिल से तरमीम किया गया था जो मिट गया है परंतु वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक आवंटन पत्रावली में बनाए गए नक्शे के मुताबिक ही मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं प्रमाण में साबिक जमाबन्दी आवंटन पत्रावली की नकल वादपत्र के साथ पेश है। तहसील रायपुर में प्रबंध हुआ जिससे ग्राम खेमाणा में भी प्रबंध हुआ जिससे वादी की साबिक आ.सं. 1106/1 रकबा पांच बीघा के नवीन नम्बर 2443 रकबा 1.08 हैक्ट कायम किए गए। भू-प्रबंध के दौरान भू-प्रबंध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वादी की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया गया परंतु वादी की नवीन आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 हैक्ट को नवीन नक्शे में मौके की स्थिति एवं आवंटन पत्रावली में दर्ज साबिक नक्शे के विपरीत पश्चिम

दिशा में बढ़ाते हुए गलत तरमीम कर दिया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक की नवीन आ.सं. 2443 के स्थान पर नवीन नक्शे में प्रतिवादी संख्या दो व तीन की आराजी संख्या 2444 व 2445 को बढ़ा दिया जिससे मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुई है जबकि वादी की आ.सं. 2443 मौके पर खेमाणा गांव की सीमा के पास उत्तर से दक्षिण की लम्बाई में है तथा वर्तमान में वादी का कब्जा भी उसी साबिक नक्शे अनुसार मौके पर बना हुआ है। भूप्रबंध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादी की नवीन आराजी को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक की आ.सं. 2443 व प्रतिवादीगण 2 व 3 की आ.सं. 2444 व 2445 को मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना न्यायोचित हो गया है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर साबिक नक्शे अनुसार मौके पर उत्तरी भाग पर काबिज होकर उसका उपयोग उपयोग करता चला आ रहा है। परंतु भूप्रबंध विभाग द्वारा वादी की उक्त आराजियात को पश्चिमी दिशा में बढ़ाते हुए वादी की आ.सं. 2443 की जगह आ. सं. 2444 व 2445 को अंकित कर देने से प्रतिवादी संख्या एक वादी को आ.सं. 2443 के उत्तरी भाग पर उसके कब्जे काशत की भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है तथा राजस्व नक्शे में त्रुटि की आड़ में प्रतिवादीगण वादी का कब्जा हटाने पर आमादा हो रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना न्यायोचित हो गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि ग्राम खेमाणा में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आ.सं. 2443 रकबा 1.08 है0 को साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार ग्राम खेमाणा की सीमा के पास उत्तर से दक्षिण की लंबाई में तथा प्रतिवादी संख्या दो व तीन की आ.सं. 2444, 2445 को मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री जारी फरमाई जाकर तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 4 को प्रदान फरमाया जाए, एवं बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाए कि ग्राम खेमाणा की वादी की आ.सं. 2443 जिस पर वादी वर्तमान में अपने 1/5 हिस्से पर उत्तरी भाग पर काबिज है पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से न करावे एवं वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादी को बेदखल नहीं करे यदि दौराने वाद वादी को उसके कब्जे काशत की भूमि से बेदखल कर दिया जाए तो जरिए आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः वादी को प्रदान फरमाया जाए। साथ ही बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या एक इस आशय की विभाजन की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम खेमाणा की आ.सं. 2443 रकबा 1.08 हैक्ट में वादी के 1/5 हिस्से की मौके पर उत्तरी हिस्से में कब्जे अनुसार एवं बाई मिट्स एण्ड बॉण्डस के आधार

पर विभाजन की डिक्री पारित कराते हुए तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 4 को दिए जावे।

प्रकरण संख्या 66/2019 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकन किया कि वाद पत्र की कलम नम्बर 01 में जहां तक भूमि सामलाती संयुक्त खातेदारी की होकर स्थित होना स्वीकार है और उसमें 1/5 हिस्सा वादी का एवं 4/5 हिस्सा मुझ प्रतिवादी संख्या 01 का होना भी स्वीकार है, किन्तु वादीयों के 1/5 हिस्से की भूमि पश्चिमी तरफ वाली हैं और इस पर सन् 2016 में शंकर जाट व छितर जाट ने बलात आधिपत्य कर लिया था तथा पूर्वी दिशा वाली 4/5 हिस्से की भूमि पर मुझ प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा वक्त खरीद से चला आ रहा है। आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 हैक्ट भूमि के साबिक नम्बर 1106/1 रकबा 5 बीघा होकर केला पिता मोती जाट के नाम पर आवंटित होना व काशत करना स्वीकार हैं। उनकी मृत्यु उपरान्त भूमियां गोपी और लक्ष्मण के नाम पर दर्ज होना व उनके द्वारा दिनांक 01.02.1992 को उक्त भूमि में से 4/5 हिस्सा प्रतिवादी को विक्रय करना स्वीकार है और 1/5 हिस्सा वादीयों के नाम पर दर्ज करवाना भी स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01, 4/5 हिस्से पर वक्त खरीद से काबिज हूँ और उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूँ। भू-प्रबन्ध विभाग ने साबिक नम्बर के नवीन नम्बर व नवीन रकबा बिलकुल सही कायम किया है। नक्शे को पश्चिमी दिशा में बढ़ाते हुए तरमीम नहीं किया तथा नवीन आराजी संख्या 2443 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की आराजी संख्या 2444 व 2445 को नहीं बढ़ाया है। मौके पर किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मौके पर आराजी संख्या 2443 खेमाणा ग्राम की सीमा के पास उत्तरी से दक्षिण की लम्बाई में नहीं है। न ही वादीयों का इस लेस मात्र भूमि के टुकड़े पर कोई कब्जा है। भू-प्रबन्ध विभाग ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। वादीयों के 1/5 हिस्से पर सन् 2016 में छितर जाट व शंकर जाट ने नाजायज कब्जा कर लिया था। फिर भी वादीयों ने उनसे कब्जा लेने की कार्यवाही करने के बजाय उक्त वाद पत्र गलत प्रस्तुत किया है, जिससे वादीयों किसी प्रकार की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी ने 4/5 हिस्सा वादीयों के पति गोपी व देवर लक्ष्मण ने मिलकर संयुक्त रूप से मुझ प्रतिवादी संख्या 01 को भूमि विक्रय की और मौके पर कब्जा पूर्वी दिशा का मुझ प्रतिवादी संख्या 01 को सिपुर्द किया, तब से मैं उसी पर काबिज हूँ तथा उस भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा हूँ। और 1/5 हिस्से की भूमि उन्होंने वादीयों के नाम पर दर्ज करवाई, जो पश्चिमी दिशा की भूमि पर वह काबिज हुई, किन्तु वादीयों को उसके 1/5 हिस्से की भूमि से सन् 2016 में शंकर जाट व छितर जाट निवासी खेमाणा ने जबरन बेदखल कर बलात आधिपत्य कर लिया, तो वादीयों अतिक्रमियों से नहीं लड़कर मुझ प्रतिवादी संख्या 01 से मुझ विक्रय की हुई भूमि में से 1/5 हिस्से की भूमि ओर लेना चाहती है, जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आये दिन वादीयों के द्वारा किये जा रहे लड़ाई झगड़े से परेशान होकर दिनांक 05.10.2016 को मुझ प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त

आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 हैक्ट, भूमि की पत्थरगढ़ी करने का आदेश प्राप्त किया। तथा आदेश की पालना में दिनांक 26.05.2017 को पत्थरगढ़ी की गई। जिसमें भी प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में आने वाली भूमि पर अतिक्रमियों का अतिक्रमण पाया गया। जिससे विभाजन कब्जे के आधार पर करते हुए उक्त आराजी के पूर्वी तरफ का 4/5 हिस्सा मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के तथा पश्चिमी तरफ का 1/5 हिस्सा वादिया के रखते हुए विभाजन की आज्ञाप्ति जारी करवाने हेतु मुझ प्रतिवादी संख्या 01 ने वादियों के विरुद्ध एक वाद पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत कर रखा है। जिसके प्रकरण संख्या 64/2019 होकर विचाराधीन हैं, जो अवश्यमेव डिक्री होगा। वादियां को उक्त वाद पत्र के बजाय अतिक्रमी शंकर जाट व छितर जाट के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम कार्यवाही करनी चाहिए। इस वाद पत्र के जरिये वादियां को अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं।

उक्त दोनो प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 है 0 भूमि खातेदार नारायण पिता डुंगा 4/5 सायरी पत्नि गोपु 1/5 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त नम्बर साबिक खसरा नम्बर 1106/1 से बनाया गया है। आराजी संख्या 2443 पर पाल बनी हुई है एवं कुछ भाग पर रास्ता निकल रहा है जो खेतों के आवागमन के उपयोग में आ रहा है। इसी आराजी के 0.10 है 0 भूमि पर शंकर पिता भैरा जाट, छीतरमल पिता सुरजमल जाट निवासी खेमाणा का कब्जा है। इसी आराजी में एक कुआ स्थित है जो 7-8 फीट गहरा है। गत और हाल नक्शे का अध्ययन में भिन्नता है। गत नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा प्रभावित होता है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन दोनो अधिवक्ताओं को कराया गया मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 66 में क्रमांक 5 से 9 को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर दोनो अधिवक्ताओं की सहमति पर पक्षकार संयोजित किया गया और उन्हें भी जरिये समन तलब किया गया। समन की पालना में उपस्थित हुए और आगामी पेशी पर कोई उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गई।

उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा प्रकरण में निवेदन किया कि मौके पर उभयपक्षों का जिस प्रकार कब्जा है उसी प्रकार वाद में डिक्री फरमाई जावें।

मैंने दोनो पत्रावलियों के वाद व जवाब दावे का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट को भी गंभीरता से पढ़ा व साबिक रेकार्ड एवं मिलान क्षेत्रफल का बारीकी से मनन करने से पाया कि उभयपक्ष का मौके पर आवंटन के समय से कब्जा है और भूमि विक्रय करने के बाद में शेष हिस्सा वादीया सायरी का एवं 4/5 हिस्सा नारायण का रहा और उसी अनुसार दोनो पक्ष विभाजन चाहते हैं। किन्तु साबिक रकबे में कोई अन्तर नहीं होकर साबिक एवं हाल राजस्व नक्शे में भिन्नता पाई गई जो मौका स्थिति के विपरीत है। भू प्रबन्ध विभाग को मौका स्थिति अनुसार नवीन नक्शा तैयार करना चाहिये था जो नहीं है मौके

मुकदमा नम्बर:-64/2019 (2019/00168) वाद पत्र

06

मुकदमा नम्बर:-66/2019 (2019/00159) वाद पत्र

06

को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रकरण की मौका स्थिति को देखते हुए आराजी संख्या 2441 रकबा 0.57 है० मे से 0.08 है० एवं 2442 रकबा 0.41 है० मे से 0.15 है० भूमि पर आराजी संख्या 2443 के खातेदार का कब्जा पाया गया एवं आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 है० मे से 0.20 है० भूमि पर अन्य खातेदार का कब्जा है एवं 0.03 है० पर रास्ता निकल रहा है। मौका स्थिति अनुसार वाद डिक्री किया जाना न्यायहित में उचित है।

### आदेश

अतः उक्त दोनो प्रकरणों में वादीगणों का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 2441 रकबा 0.57 है० मे से (इस आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने से दक्षिण सीमा पर रास्ते के पूर्वी कोने तक) 0.08 है० भूमि आराजी संख्या 2443 का भाग मानते हुए एवं आराजी संख्या 2442 रकबा 0.41 है० मे से (आराजी संख्या 2441 के उत्तरी पश्चिमी कोने से सीधा पूर्वी सीमा तक का रकबा) 0.15 है० भूमि आराजी संख्या 2443 का भाग मानते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे एवं आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 है० मे से पश्चिमी भाग रास्ते तक 0.23 है० भूमि मे से (आराजी संख्या 2441 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से सीधा पूर्व की ओर रास्ते तक मिलाते हुए) 0.08 है० भूमि आराजी संख्या 2441 के खातेदार के नाम एवं शेष 0.15 है० भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। साथ ही आराजी संख्या 2443 के शेष रहे रकबे 0.85 है० मे से रास्ते के सहारे सहारे पूर्व की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 0.15 है० एवं इसी सीध में उत्तर की ओर आराजी संख्या 2441 मे से 0.08 है० भूमि सायरी पत्नि गोपु जाट की खातेदारी घोषित की जाती है एवं आराजी संख्या 2443 का शेष पूर्वी भाग का रकबा उत्तर से दक्षिण 0.70 है० भूमि व आराजी संख्या 2442 मे से 0.15 है० भूमि कुल कितना 2 कुल रकबा 0.85 है० भूमि नारायण पिता डुगा जाट के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

यह आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।



*(Signature)*  
21.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला लखीमपुर  
रायपुर, जिला लखीमपुर

मूल वाद मे डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—64/2019 (2019/00168) वाद पत्र

उनवान

1—नारायण पिता डुंगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—सायरी पत्नि गोपु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित

1.—हरिश टेलर —

2.—जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर:—66/2019 (2019/00159) वाद पत्र

उनवान

1—सायरी पत्नि गोपु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1—नारायण पिता डुंगा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—बदामी पत्नि शिवलाल जाट जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—मांगीलाल आत्मज हजारी खाती निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—कमली पुत्री भैरू जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6—छोगा पुत्र कालु जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

7—बरदी पुत्री भैरा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

8—शंकर पुत्र भैरा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

9—सोनी पत्नि भैरू जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-64/2019 (2019/00168) वाद पत्र

02

मुकदमा नम्बर:-66/2019 (2019/00159) वाद पत्र

02

### वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी उक्त दोनो प्रकरणो में वादीगणों का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेमाणा की आराजी संख्या 2441 रकबा 0.57 है० मे से (इस आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने से दक्षिण सीमा पर रास्ते के पूर्वी कोने तक) 0.08 है० भूमि आराजी संख्या 2443 का भाग मानते हुए एवं आराजी संख्या 2442 रकबा 0.41 है० मे से (आराजी संख्या 2441 के उत्तरी पश्चिमी कोने से सीधा पूर्वी सीमा तक का रकबा) 0.15 है० भूमि आराजी संख्या 2443 का भाग मानते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे एवं आराजी संख्या 2443 रकबा 1.08 है० मे से पश्चिमी भाग रास्ते तक 0.23 है० भूमि मे से (आराजी संख्या 2441 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से सीधा पूर्व की ओर रास्ते तक मिलाते हुए) 0.08 है० भूमि आराजी संख्या 2441 के खातेदार के नाम एवं शेष 0.15 है० भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। साथ ही आराजी संख्या 2443 के शेष रहे रकबे 0.85 है० मे से रास्ते के सहारे सहारे पूर्व की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर 0.15 है० एवं इसी सीध में उत्तर की ओर आराजी संख्या 2441 मे से 0.08 है० भूमि सायरी पत्नि गोपु जाट की खातेदारी घोषित की जाती है एवं आराजी संख्या 2443 का शेष पूर्वी भाग का रकबा उत्तर से दक्षिण 0.70 है० भूमि व आराजी संख्या 2442 मे से 0.15 है० भूमि कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.85 है० भूमि नारायण पिता डुगा जाट के नाम दर्ज की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 21.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



*(Signature)*

21.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

जयपुर जिला भीलवाड़ा  
जयपुर (भीलवाड़ा)